संख्या-2-2016/सा-3-86/दस-2017-308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
कक्ष संख्या-1018, जवाहर भवन,
लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 20 फरवरी, 2017

विषय : वेतन समिति उत्तर प्रदेश, (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन - वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-3307/कम्प्यू0/150/मि0मो0प्रो0/ बैठक / को0नि0, दिनांक 31 जनवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों का उल्लेख करते हुये आपके द्वारा शासन का मार्गदर्शन चाहा गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों, राज्य सरकार द्वारा अनुदानित अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के दिनांक 01.01.2016 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों जिन्हें राज्य सरकार के पेंशनरों को अनुमन्य दरों पर पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है तथा जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान कोषागारों द्वारा किया जा रहा है, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01-01-2016 से पुनरीक्षण/अभिनवीकरण संबंधित कोषागारों द्वारा शासनादेश संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

--2--

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

3- ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन उ0प्र0 पॉवर कॉर्पोरेशन लि, उ0प्र0 पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लि0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तथा उ0प्र0 जल विद्युत उत्पादन निगम लि0 के पेंशनरां/पारिवारिक पेंशनरों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। इनके संबंध में ऊर्जा विभाग द्वारा अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव ।

संख्या-2-2016/सा-3-86(1)/दस-2017-308/2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

3- निदेशक, पेंशन, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।